

बिक्री अधिसूचना

(उत्पाद प्रपत्र - 127)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या 01/नीति-05-03/2024-803 दिनांक 21.05.2025 द्वारा प्रकाशित झारखण्ड उत्पाद (मदिरा वही खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 में वर्णित नियमों/शर्तों के तहत सरायकेला-खरसावाँ जिला के लिए स्वीकृत वैसे शराब की "ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकानों" जिनका नवीकरण वर्ष 2026-27 के लिए नहीं कराया गया है की बंदोबस्ती इस अधिसूचना के अनुसूची में वर्णित दुकानों के समूह के अनुसार दिनांक 27/03/2026... अथवा आवश्यकतानुसार अगले कार्य दिवस (जैसा कि उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा विनिश्चित किया जाय) को 11:00 बजे से ई-लॉटरी विधि से किया जायेगा।

ई-लॉटरी के ऑनलाइन प्रसारण का लिंक विभागीय वेबसाइट <https://excise.jharkhand.gov.in> एवं जिला के NIC वेबसाइट <https://seraikela.nic.in> पर उपलब्ध रहेगा। ई-लॉटरी का ऑनलाइन टेलीकास्ट जिला समाहरणालय में आवेदकों द्वारा देखा जा सकेगा। बंदोबस्ती हेतु आवेदन दिनांक 20/03/2026...के प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 26/03/2026...के संध्या 04:00 बजे तक समर्पित की जा सकेगी। आवेदन <https://exciselottery.jharkhand.gov.in> पोर्टल पर ऑनलाइन विधि से समर्पित की जायेगी। ई-लॉटरी में प्रतिभागिता के लिए संबंधित दुकान/दुकान समूह हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि तथा आवेदन शुल्क का भुगतान Credit Card/Debit Card/NET BANKING/NEFT/ RTGS/IMPS इत्यादि ऑनलाइन विधि से उक्त पोर्टल पर प्राप्त किया जायेगा। उक्त भुगतान की पुष्टि आवेदन पोर्टल/विभाग के खाते में दिनांक- 26/03/2026...को 05:00...तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

बंदोबस्ती में भाग लेने की अर्हता, बंदोबस्ती की प्रक्रिया, दुकानों की कालावधि, दुकानों हेतु आवेदन समर्पित करने तथा लॉटरी में सफल होने के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किया जाने वाला शुल्क एवं कर की विवरणी तथा बंदोबस्ती एवं अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें निम्नवत हैं :-



- 1- खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्ति की कालावधि—(i) "झारखंड उत्पाद (नदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियों दुकानों के संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से सामान्यतः दिनांक 31.03.2030 तक की अवधि के लिए बंदोबस्त की जायेगी। परंतु, ये अनुज्ञप्तियाँ एक उत्पाद वर्ष या उसके भाग के लिए ही प्रदान की जायेगी, जिनका आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नवीकरण, दुकानों के संतुष्टिपूर्वक नियमानुसार घसाये जाने तथा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं चालू वर्ष तथा पूर्व उत्पाद वर्ष के लिए वांछित उत्पाद राजस्व की प्राप्ति के उपरांत आगामी उत्पाद वर्ष के लिए पुनर्निर्धारित राजस्व/शर्त के अनुसार किया जा सकेगा। किन्तु जिला के खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केवल तभी किया जा सकेगा, जबकि उस जिला की निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का कम-से-कम 95% उत्पाद राजस्व के समतुल्य अनुज्ञप्तियों का नवीकरण जिला के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कराया जाय। इस संबंध में बंदोबस्ती की गणना करते हुए गणित के सन्निकटीकरण नियम का उपयोग किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप — 94.50% से अधिक बंदोबस्त दुकान को भी 95% बंदोबस्त माना जायेगा।

इस नियमावली के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती किये जाने की स्थिति में निर्गत अनुज्ञप्ति दिनांक 31.03.2027 तक के लिए प्रदान की जायेगी। न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का मासिक वितरण किया जायेगा। अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में इस नियमावली के नियम 19 में वर्णित शर्तों के आलोक में तथा खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में न्यूनतम 10% वृद्धि के साथ इसका आगामी नवीकरण एक-एक वित्तीय वर्ष के लिए किया जायेगा।

- (ii) अनुज्ञप्ति अवधि में विखंडित दुकानों एवं अनवीकृत दुकानों की पुनर्बंदोबस्ती, विहित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दुकान के विखंडित होने के एक सप्ताह के अंदर पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करते हुए बंदोबस्ती सुनिश्चित करायी जायेगी, ताकि सरकार को राजस्व की क्षति न हो।
- 2- बंदोबस्ती हेतु सक्षम प्राधिकार-जिला मुख्यालयों में खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती अनुज्ञप्ति पदाधिकारी (उपायुक्त/समाहर्ता) के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। यदि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी किसी अपरिहार्य कारणों से

स्वयं बंदोबस्ती का संचालन करने में असमर्थ हो, तो इस हेतु वे उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद अथवा अन्य पदाधिकारी, जिसे वे उचित समझें, को बंदोबस्ती कराने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती की समस्त कार्रवाई की जायेगी तथा इसका अनुमोदन अनुज्ञप्ति पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

- 3- बंदोबस्ती हेतु दुकान अथवा दुकानों के समूह का गठन—(i) मदिरा की खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह का गठन न्यूनतम एक तथा अधिकतम चार दुकानों के समूह के रूप में किया जा सकेगा। समूह के गठन में बंदोबस्त पदाधिकारी/जिला के उपायुक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि समूहवार बंदोबस्ती में जिला की शत-प्रतिशत दुकानों की बंदोबस्ती सुनिश्चित करायी जा सके।
- (ii) समूह (Cluster of Shops) का निर्धारण – बंदोबस्त पदाधिकारी/जिला के उपायुक्त सर्वप्रथम जिला के सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को उनकी विशिष्टता के आधार पर चार श्रेणियों यथा, सर्वोत्तम, उत्तम, सामान्य एवं औसत में विभक्त करेंगे। समूह (Cluster of Shops) के निर्धारण करते समय उक्त चारों श्रेणी के खुदरा उत्पाद दुकानों के क्रमचय एवं संयोजन (Permutation And Combination) से समूह का निर्धारण करेंगे, ताकि कोई भी समूह आवेदक के नजर में लाभकर ही प्रतीत हो, जिससे शत-प्रतिशत बंदोबस्ती सुनिश्चित हो सके।
- (iii) एक जिले में एक आवेदक अधिकतम तीन समूह की दुकान/दुकानों की ही बंदोबस्ती ले सकेगा। उदाहरणस्वरूप – यदि किसी आवेदक का नाम किसी जिला की चार दुकानों के एक समूह के लिए घबनित होता है, तो वह अधिकतम 04 दुकान का ही अनुज्ञप्तिधारी होगा। उसी प्रकार यदि आवेदक चार दुकानों के तीन समूह के लिए घबनित हो जाता है, तो वह बारह दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी रह सकेगा। इस प्रकार कोई भी आवेदक एक जिला में अधिकतम बारह दुकानों की ही बंदोबस्ती ले सकेगा।

किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा बंदोबस्ती के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया जा सकेगा।

- (iv) किसी भी आवेदक के साथ संपूर्ण झारखंड राज्य में अधिकतम 9 दुकानों का समूह की बंदोबस्ती की जा सकेगी अर्थात एक आवेदक के साथ अधिकतम 9 से 38 तक



की संख्या में दुकानों की बंदोबस्ती की जा सकेगी। आवेदक के द्वारा जमा की गई आवेदन शुल्क अप्रत्यर्पणीय होगा।

4- खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता की शर्तें-

मदिरा की खुदरा बिक्री की दुकानों की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होंगी -

- (i) मदिरा की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति हेतु कोई भी व्यक्ति/कम्पनी/निबंधित साझेदारी फर्म/HUF पात्र हो सकता है।
 - (ii)(क) आवेदक (व्यक्ति/कम्पनी के निदेशक/निबंधित साझेदारी फर्म के अधिकृत साझेदार/संस्थान के जिम्मेदार सदस्य), भारत का नागरिक हो एवं 21 वर्ष से कम आयु का न हो।
 - ख) आवेदक, व्यक्ति/कम्पनी/काली सूची में सम्मिलित अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के अंतर्गत बनायी गई किसी नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित न किया गया हो।
 - ग) आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा किसी भी गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। यदि किसी आवेदक को फौजदारी न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो, अथवा झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915), स्वापक अधिधे एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, अधिधियों एवं प्रसाधन निर्मितियों (उत्पाद कर) अधिनियम, 1985 से संबंधित कानूनों एवं नियमों के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो इसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - घ) आवेदक को विरुद्ध किसी प्रकार का कोई सरकारी बकाया न हो।
 - ङ) आवेदक दिवालिया न हो।
 - (iii) आवेदक, यदि कम्पनी/निबंधित साझेदारी फर्म/संस्थान हो, तो कम्पनी के सभी निदेशक एवं साझेदारों के लिए उपरोक्त शर्तों के अनुरूप योग्यता रखना आवश्यक होगा।
5. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कामजात-झारखंड राज्य के किसी जिले में मदिरा की खुदरा बिक्री के अनुज्ञप्ति हेतु इच्छुक आवेदक, विहित प्रपत्र में

अपना लिखित आवेदन अनुज्ञप्ति प्राधिकार के समक्ष समर्पित करेंगे। आवेदन में निम्न विवरणी का उल्लेख तथा कागजातों का संलग्न किया जाना आवश्यक होगा -

- (क) आवेदक यदि व्यक्ति/अविभाजित हिन्दु परिवार (Hindu Undivided Family) हो,
- आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता (पत्राचार एवं स्थायी सहित);
 - आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति;
 - आवेदक के क्रियाशील बैंक खाता की विवरणी;
- (ख) आवेदक, यदि साझेदारी फर्म हो, तो कंडिका 5 (क) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कागजात समर्पित करने होंगे -
- नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित निबंधित साझेदारी फर्म से संबंधित विलेख (Deed) की प्रति;
 - सभी साझेदारों का नाम एवं पूर्ण पता (पत्राचार एवं स्थायी);
 - सभी साझेदारों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं निबंधित साझेदारी फर्म का पैन कार्ड की प्रति;
 - चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा अभिप्रमाणित साझेदारी फर्म का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख;
 - सभी साझेदारों के बैंक खाता की विवरणी;
 - निबंधित साझेदारी फर्म द्वारा दिनांक तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 & 2023-24) का आयकर रिटर्न एवं सभी साझेदारों का विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 & 2023-24) का व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की प्रति एवं यदि आयकरदाता नहीं है, तो नियमावली के नियम 12(x) के अनुरूप शपथ पत्र समर्पित करेंगे
- (ग) आवेदक, यदि कम्पनी हो, तो कंडिका 5 (क) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्नलिखित कागजात समर्पित करने होंगे -
- कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत कम्पनी के निगमन से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति;
 - कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (Memorandum of Association) एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) की प्रति;

One

- iii. कम्पनी का विगत तीन वर्षों का अंकेक्षित (Audited) वित्तीय अभिलेख यथा बैलेंस शीट (Balance Sheet) एवं लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account);
- iv. कम्पनी के निदेशकों के संबंध में प्रपत्र 12/29/32 की प्रति;
- v. कम्पनी का पैन कार्ड एवं कम्पनी के सभी निदेशकों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र;
- vi. कम्पनी एवं सभी निदेशकों का विगत तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 & 2023-24) का आचकर रिटर्न की प्रति;
- vii. कम्पनी का विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 & 2023-24) का मुख्य वर्धित कर (यदि लागू हो, तब)/प्रोफेशनल कर इत्यादि से संबंधित अद्यतन Return Filing की प्रति;
- viii. कम्पनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) के द्वारा मदिरा की खुदरा विक्रेता की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में पारित रिजोल्यूशन (Resolution) की प्रति;
- ix. कम्पनी के सभी निदेशकों के क्रियारील बैंक खाता की प्रति;
- x. CA द्वारा निर्गत कम्पनी का पोजिटिव नेट वर्थ (Positive Net Worth) से संबंधित अभिलेख;
- (घ) प्रत्येक आवेदक (व्यक्ति/कम्पनी/साझेदारी फर्म/अन्य संस्थान) को कंडिका 5 (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कागजातों के अतिरिक्त निम्न कागजात भी आवेदन के साथ समर्पित करने होंगे -
- अप्रत्यर्णीय आवेदन शुल्क से संबंधित चालान/बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान
 - नियमावली के नियम 2 (xxviii) के अनुसार धरोहर धनराशि;
 - अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरान्त उत्पाद विभाग के साथ सन्वयवहार हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का पूर्ण बायोडेटा;
 - नियमावली के अनुरूप विहित प्रपत्र में नोटराइज्ड शपथ पत्र;
 - वांछित दस्तावेजों का पृष्ठ संख्या के साथ निर्देशिका (Index) वियरणी;
 - आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले अन्य वांछित अभिलेख;

Am

6. खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए आवेदन के साथ समर्पित किया जाने वाला शपथ पत्र— आवेदक निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र समर्पित करेगा :-

- i. यह कि वह भारत का नागरिक है एवं 21 वर्ष से अधिक आयु का है।
- ii. यह कि वह समय-समय पर कक्षा संशोधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के प्राक्कानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु आपत्तिरहित उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता है एवं परिसर नहीं प्राप्त करने की स्थिति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होना।
- iii. यह कि दुकान के परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- iv. यह कि उसका/उसके साझेदारों/निदेशक मंडल का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) या स्वायत्त अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।
- v. यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो।
- vi. यह कि अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से अपने प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करेगा एवं दुकान के विक्रेता बिक्री काल में उसे पहने रहेंगे।
- vii. यह कि उसपर कोई लोका या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।
- viii. यह कि वह सक्रिय रूप से अवैधानिक गतिविधियों, असामाजिक कार्य एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के



उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह अवैधानिक गतिविधियाँ असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान की गई अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाए। अनुज्ञप्ति निरस्त होने के फलस्वरूप पुनर्बंदोबस्ती होने की मध्यवधि में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व क्षति की वसूली भी दोषी अनुज्ञप्तिधारी से कर ली जाय।

- ix. यह कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आयुक्त उत्पाद द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) विभाग के राजकीय खाते में विहित विधि अथवा जैसा कि आयुक्त उत्पाद निर्धारित करें, आवेदन के साथ जमा करेगा।
- x. यह कि वह आयकरदाता है एवं यदि वह आयकरदाता नहीं है, तो खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी के रूप में चयन होने के उपरांत वह आगामी वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।
- xi. यह कि वह दिवालिया नहीं है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के सम्बन्धों के लिए आवश्यक निधि का प्रबंध कर लिया है, जिसका खौरा यदि अपेक्षित होगा, तो लाईसेंस प्राधिकार को उपलब्ध करा देगा।
- xii. यह कि वह भारतवर्ष के किसी भी राज्य में मदिरा के विनिर्माण, वितरणता एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है।
- xiii. यह कि वह खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को सक्तीज नहीं करेगा।
- xiv. यह कि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत आवेदक अनुसूचित (Scheduled) बैंक में चालू खाता खोलेंगे।
- xv. यह कि यदि वह दुकान की बंदोबस्ती हेतु लॉटरी में सफल होता है, तो दिनांक-31/03/2026 तक आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा।
- xvi. यह कि वह बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्कर प्रूफ कैप या सील से जानबूझकर छेड़-छाड़ नहीं करेगा। अनुज्ञप्ति परिसर में कौरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैम्पूल, मुहर

अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखेगा, न ही दुकान में नॉन ड्यूटी पेड स्टॉक रखेगा। ऐसा करते पाये जाने पर उनकी अनुज्ञप्ति विखंडित की जा सकेगी, जिसपर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

- xvii. यह कि ऑफ अनुज्ञप्ति परिसर में खुली नदिरा की डिब्बी नहीं की जायेगी तथा नदिरा का जलापमिश्रण/तनुकरण एवं उच्च श्रेणी की नदिरा में निम्न श्रेणी की नदिरा का अपमिश्रण नहीं किया जायेगा। ऐसा करते पाये जाने पर उनकी अनुज्ञप्ति विखंडित की जा सकेगी, जिसपर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
- xviii. यह कि उपरोक्त शपथ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं और किसी तथ्य को छुपाये जाने पर जिसकी जानकारी बाद में यदि विभाग/सरकार को मिलती है, तो उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकता है एवं इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे एवं उसके उपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।
- xix. यह कि उनके द्वारा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या 903 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अधिसूचित "आरखंड उत्पाद (नदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" को पढ़ लिया गया है और वे इसके सभी प्रावधानों/शर्तों से सहमत हैं।
7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात- लॉटरी के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती में भाग लेने वाले आवेदकों को अपने आवेदन के साथ वैयक्तिक पहचान प्रमाण पत्र (Identity Proof) एवं आवास के प्रमाण हेतु कागजात निम्न तालिका के अनुसार समर्पित करने होंगे :-

क्र. सं.	वैयक्तिक पहचान पत्र से संबंधित कागजात (निम्न में से कोई एक)	निवास के प्रमाण से संबंधित कागजात (निम्न में से कोई एक)	पता पत्र से संबंधित कागजात (निम्न में से कोई एक)
1	आधार कार्ड	पारलपोर्ट/आधार कार्ड	पारलपोर्ट
2	मतदाता पहचान पत्र	अनुमंडल पदाधिकारी से अभ्यून पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र	मतदाता पहचान पत्र
3	आयकर विभाग द्वारा निर्गत Permanent Account Number (PAN)	बिजली बिल	ड्राइविंग लाइसेंस
4	ड्राइविंग लाइसेंस	टेलिफोन बिल	आधार कार्ड
5		बैंक का जीवित पासू खाता के स्टेटमेंटस	बैंक का जीवित पासू खाता के स्टेटमेंटस

(Signature)

6	कंपनी के Incorporation Certificate तथा सभी निदेशकों का दिन संख्या	कंपनी के प्रपत्र 12/29/32 की प्रति	कंपनी के प्रपत्र 12/29/32 की प्रति
---	---	------------------------------------	------------------------------------

उपरोक्त के अतिरिक्त विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना आवश्यक है :-

- विहित प्रपत्र में फोटोयुक्त आवेदन
- आधार कार्ड
- इस नियमावली के नियम 12 में वर्णित शर्तों के अनुरूप राशय पत्र
- कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व (उत्पाद कर एवं उत्पाद परिवहन कर का योग) का 1/50वाँ भाग के समतुल्य धरोहर राशि (Earnest Money Deposit)।
- अपने बैंक खाता/बैंक खातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- पैन कार्ड एवं ITR/GST Return की छायाप्रति निम्नरूपेण संलग्न करना होगा-

क्र०	दुकान का प्रकार	पैन कार्ड/ GSTIN	ITR/GST Return	ITR/GST Return में दर्ज आय/Turnover
1	देसी मदिरा की ऑफ एवं ऑन दुकान	PAN अनिवार्य है।	अनिवार्य नहीं है।	-
2	ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	{गल कर निर्धारण वर्ष 2024-25 (Assessment Year)}
3	मॉल में मदिरा की कम्पोजिट ऑफ दुकानें	PAN अनिवार्य है।	ITR अनिवार्य है।	5 लाख रुपये से अधिक {गल कर निर्धारण वर्ष 2024-25 (Assessment Year)}

नोट -(क) राज्य में मदिरा के विनिर्माणकर्ता/आपूर्तिकर्ता अनुज्ञापिधारी, खुदरा अनुज्ञापितियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र नहीं होंगे। कंपनी या साझेदारी फर्म के मामले में इसके निदेशक या साझेदार एकल आवेदक के रूप में खुदरा अनुज्ञापितियों के लिए आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य पात्र नहीं होंगे।

ख) नियमावली के नियम 10, 11, 12 एवं 13 में आवेदन से संबंधित विशिष्टियों के धारण नहीं करने की स्थिति में आवेदक के साथ आवंटित लॉटरी/बंदोबस्ती निरस्त कर दी जायेगी एवं उनके द्वारा जमा संपूर्ण राशि (जमानत राशि, अग्रिम उत्पाद परिवहन कर एवं अनुज्ञापित शुल्क) जब्त कर लिया जायेगा।



- 8- आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क - (i) दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती में भाग लेने वाला अभ्यर्थी अपेक्षित आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) के साथ विहित आवेदन प्रपत्र में सभी वांछित कागजातों के साथ विहित विधि से आवेदन सनपित करेगा। आवेदन शुल्क की राशि निम्न तालिका के अनुसार जमा की जायेगी -
- a) ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान, तथा मॉल में मदिरा की कम्पोजिट दुकानों के लिए आवेदन शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा-

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	इस आवेदन शुल्क (Non Refundable) (अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹ 25000/- (पच्चीस हजार) प्रति आवेदन
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र/छावनी परिषद (Cantonment Area) एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹ 20000/- (बीस हजार) प्रति आवेदन
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹ 15000/- (पन्द्रह हजार) प्रति आवेदन
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	₹ 10000/- (दस हजार) प्रति आवेदन

- b) देशी मदिरा की ऑफ एवं ऑन दुकान के लिए आवेदन शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा -

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	इस आवेदन शुल्क (Non Refundable) (अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करते समय)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹ 12000/- (बारह हजार) प्रति आवेदन
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र/छावनी परिषद (Cantonment Area) एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹ 10000/- (दस हजार) प्रति आवेदन
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर	₹ 7000/- (सात हजार) प्रति



के परिधीय क्षेत्र में		आवेदन
4	सभी जिलों के प्रमुख मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	₹ 5000/- (पाँच हजार) प्रति आवेदन

- ii. अनुवर्ती उत्पाद वर्षों के लिए आवेदन शुल्क एवं अनुज्ञप्ति शुल्क आयुक्त उत्पाद के द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
 - iii. किसी दुकानों के समूह के लिए एक आवेदक के द्वारा अधिकतम तीन आवेदन समर्पित किये जा सकते हैं, बशर्त सभी आवेदनों के साथ, उस दुकान के समूह के लिए निर्धारित अप्रत्यर्पणीय आवेदन शुल्क एवं धरोहर धनराशि संलग्न की गई हो। कोई भी आवेदक राज्य के सभी दुकान समूह हेतु आवेदन समर्पित कर सकता है।
 - iv. आवेदन शुल्क अप्रत्यर्पणीय होना अर्थात् वापस अथवा सामंजित नहीं किया जायेगा।
 - v. आवेदन का प्रपत्र, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के विभागीय पोर्टल से डाउनलोड की जा सकेगी अथवा किसी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा अथवा विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा।
 - vi. आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत समर्पित किये गये आवेदन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे एवं विचारणीय नहीं होंगे। अपूर्ण आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
 - vii. ई-लॉटरी हेतु आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए आयुक्त उत्पाद सक्षम प्राधिकार होंगे।
 - viii. आवेदन शुल्क पर लगने वाला Service Tax एवं अन्य करों का भुगतान आवेदक को करना होगा।
9. खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती की प्रक्रिया—(i) योग्य आवेदकों के बीच खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह की बंदोबस्ती, लॉटरी विधि से अथवा जैसा कि आयुक्त उत्पाद विनिश्चित करें, की जायेगी।
- (ii) किसी दुकान/दुकानों के समूह के लिए एकल आवेदन प्राप्त होने की दशा में उस आवेदक के साथ दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती कर दी जायेगी। दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, अधिकतम तीन योग्य आवेदकों का चयन प्रथम,

द्वितीय एवं तृतीय सफल लॉटरी विजेता के रूप में क्रमवार दंग से किया जायेगा। सर्वप्रथम दुकान की बंदोबस्ती प्रथम सफल चयनित आवेदक के साथ की जायेगी। प्रथम सफल आवेदक द्वारा यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" की अनुसूची-1 के अनुसार नहीं जमा किया जाता है, तो दुकान की बंदोबस्ती द्वितीय सफल आवेदक के साथ की जायेगी। यदि द्वितीय सफल आवेदक भी बंदोबस्ती लेने के लिए ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" की अनुसूची-1 के अनुसार नहीं जमा करता है, तो दुकान की बंदोबस्ती तृतीय सफल आवेदक के साथ की जायेगी। तृतीय सफल आवेदक भी यदि ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" की अनुसूची-1 के अनुसार नहीं जमा करता है, तो दुकान की पुनर्बंदोबस्ती विज्ञप्ति प्रकाशित करके की जायेगी।

लॉटरी में सफल आवेदकों द्वारा बंदोबस्ती लेने के लिए यदि ससमय यथाविनिर्दिष्ट राजस्व "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" की अनुसूची-1 के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, तो उनके द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जायेगा तथा उन आवेदकों का नाम काली सूची में (पाँच वर्षों के लिए) दर्ज किया जायेगा। ऐसे आवेदक काली सूची में दर्ज अवधि में संपूर्ण झारखंड राज्य में किसी भी प्रकार के उत्पाद अनुज्ञप्ति के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

- (iii) कोई भी आवेदक एक जिला में बंदोबस्ती हेतु गठित दुकानों के तीन समूह की दुकान/दुकानों से अधिक की बंदोबस्ती नहीं ले सकेंगे। लॉटरी के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के तीन समूह की दुकान/दुकानों में लॉटरी द्वारा चयन होने के उपरान्त उस आवेदक का नाम उस जिला के लिए योग्य आवेदकों की सूची से हटा ली जायेगी एवं उसका आवेदन शुल्क अप्रत्यर्पणीय होगा।

10. बंदोबस्ती हेतु आवेदन शुल्क, धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit), प्रतिभूति राशि (Security Deposit), अग्रिम अनुज्ञाशुल्क एवं अग्रिम उत्पाद



परिवहन कर (Excise Transportation Duty) का भुगतान - (i) आवेदक द्वारा बिछी अधिसूचना में दुकानों की सूची के साथ अधिसूचित, क्षेत्रवार निर्धारित आवेदन शुल्क विभाग को यथाविहित प्रक्रिया के तहत जमा किया जायेगा। यह राशि अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) होगी। आवेदन शुल्क पर लगने वाला Service Tax एवं अन्य करों का भुगतान आवेदक को करना होगा।

(ii) दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल उत्पाद राजस्व का 1/50वाँ भाग धरोहर धनराशि के रूप में विहित विधि अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अथवा जैसा कि आयुक्त उत्पाद के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, जमा की जायेगी। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) बंदोबस्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत यथाशीघ्र (अधिकतम दो माह के अंदर) वापस कर दी जायेगी। सफल आवेदकों द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) को जमानत की राशि (Security Deposit) के विरुद्ध समायोजित किया जा सकेगा।

(iii) दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 5% प्रतिभूति राशि के रूप में विहित ऑनलाइन विधि अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिनांक— 31/03/26 तक जमा करना होगा। यह राशि राज्य सरकार के सिविल डिपोजिट हेड B443 के अंतर्गत जमा की जायेगी। यदि किसी आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल अग्रिम धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) आवश्यक प्रतिभूति राशि से अधिक है, तो उसे प्रतिभूति राशि अथवा अग्रिम उत्पाद परिवहन कर में सामंजस कर दिया जायेगा एवं अंतर राशि वापस कर दी जायेगी, परंतु यदि आवेदक के द्वारा जमा की गई कुल धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) प्रतिभूति राशि अथवा अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से कम है, तो उन्हें अंतर राशि को जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में भी जमा की जा सकेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (National Saving Certificate) के रूप में जमा की गई प्रतिभूति राशि आयुक्त उत्पाद के नाम से थातीकृत (Pledged) रहेगी। यह राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार के समस्त दावों और देवों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य है। इस राशि की वापसी में अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। बंदोबस्ती की एक माह के अंदर अनुज्ञाधारी प्रतिभूति राशि के एवज में झारखंड राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय बैंक की "बैंक गारंटी" भी समर्पित कर सकता

है, जिसकी मान्यता अवधि संपूर्ण बंदोबस्ती की अवधि से छः माह अधिक तक की रहेगी। बैंक गारंटी के स्तथापन के पश्चात, अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिभूति राशि के रूप में जमा की गई NSC विमुक्त कर दी जायेगी। ससमय प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी आवेदक को पक्ष में किये गये बंदोबस्ती को निरस्त कर नियम 17(ii) के तहत कार्रवाई करेंगे एवं द्वितीय एवं तृतीय सफल बंदोबस्त आवेदक को क्रमानुसार आमंत्रित करेंगे।

- (iv) दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का 7.5% उत्पाद परिवहन कर के मद में अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट/विहित ऑनलाइन विधि के द्वारा दिनांक- 31/03/2026 तक जमा करना होगा। अग्रिम उत्पाद परिवहन कर का सामंजस अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के अंतिम माह में किया जायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को आगामी चार वर्षों के लिए अवधि विस्तार दिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में प्रत्येक नवीकरण वर्ष में पुनर्निर्धारित दर पर तय की गई उत्पाद परिवहन कर की अंतर राशि अनुज्ञाधारी को नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित करते समय जमा कर देना होगा। दुकान/दुकानों के समूह हेतु निर्धारित कुल वार्षिक उत्पाद राजस्व का जमा 7.5% अग्रिम उत्पाद परिवहन कर पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- (v) अनुज्ञप्ति शुल्क- सफल आवेदक को दुकानों की अवस्थिति के अनुसार "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" की अनुसूची-1 में यथा वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, दिनांक-27.03.2026 तक एकमुश्त जमा करना होगा। अनुज्ञप्ति शुल्क (सभी कर सहित, यदि कोई हो) का भुगतान आवेदक को करना होगा।

क) ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा-

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)
1	समी नगर निगम क्षेत्र बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र शहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹ 200000/- (दो लाख)
2	समी नगर परिषद क्षेत्र/छावनी परिषद (Cantonment Area) एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹ 150000/- (एक लाख पचास हजार)
3	समी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹ 100000/- (एक लाख)

(Signature)

4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	₹0 50000 / - (पचास हजार)
---	---	-----------------------------

ख) देशी मदिरा की ऑन एवं ऑफ दुकान के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नवत वसूलनीय होगा -

क्र. सं.	अनुज्ञप्ति क्षेत्र का नाम	वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (अनुज्ञप्ति प्राप्ति के पूर्व एकमुश्त जमा करने हेतु)
1	सभी नगर निगम क्षेत्र, बोकारो स्टील सिटी, जनशेखरपुर अधिसूचित क्षेत्र सहरी एवं इनके तीन किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹0 100000 / - (एक लाख)
2	सभी नगर परिषद क्षेत्र/छावनी परिषद (Cantonment Area) एवं इनके दो किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹0 80000 / - (अस्सी हजार)
3	सभी नगर पंचायत क्षेत्र एवं इनके एक किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में	₹0 50000 / - (पचास हजार)
4	सभी जिलों के प्रखण्ड मुख्यालय (नगर निगम क्षेत्र एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित प्रखण्ड मुख्यालय को छोड़कर) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	₹0 30000 / - (तीस हजार)

11. खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल का अनुमोदन - (i) लॉटरी में सफल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस दुकान के लिए दिनांक-30.03.2026 तक आपत्तिरहित स्थल, प्रस्तावित दुकान परिसर के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति से संबंधित निर्णय आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के अंदर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा ले लिया जायेगा, अन्यथा स्थल अनुमोदन में हुए विलंब के कारण हुई राजस्व क्षति के लिए अनुज्ञप्ति पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। जिला समाहर्ता/उपायुक्त द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी।
- (ii) स्थल के चयन में विलंब अथवा दुकान खोलने में विलंब के लिए अनुज्ञाधारी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं इससे हुई उत्पाद राजस्व की हानि अनुज्ञाधारी से वसूलनीय होगी।

- (iii) न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिश का उठाव एवं संवय करने का पर्याप्त स्थान मुख्य अनुज्ञप्ति परिसर में होना चाहिए। यदि मुख्य अनुज्ञप्ति परिसर में पर्याप्त स्थान नहीं है, तो जिला उपायुक्त/समाहर्ता के द्वारा उस दुकान से संलग्न स्थल अथवा सन्निकट स्थल जैसा कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी उचित समझें, पर अतिरिक्त गोदाम खोलने की अनुमति दी जा सकती है। दुकान हेतु स्वीकृत अतिरिक्त स्थल पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिश का संवय न हो, न ही अतिरिक्त स्थल से मदिश की बिक्री की जाय, इसकी पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी। इसीलिए आवेदक अनुज्ञप्ति हेतु दुकान लेते समय न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुसार आवश्यक क्षेत्रफल की दुकान लेना सुनिश्चित करेंगे। किसी एक दुकान के लिए अधिकतम एक गोदाम रहेगा, अर्थात् किसी भी गोदाम में दो या दो से अधिक दुकानों का मदिश स्तम्भ का संवयन नहीं किया जायेगा।

12. मासिक उत्पाद परिवहन कर का भुगतान— (i) प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर, निगम (JSBCL) द्वारा संचालित बैंक खाता में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 26वीं तिथि तक निम्न तालिका के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा -

क्र०	माह का नाम	न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद परिवहन कर का प्रतिशत
1	अप्रैल	9%
2	मई	9%
3	जून	9%
4	जुलाई	6%
5	अगस्त	6%
6	सितम्बर	7%
7	अक्टूबर	9%
8	नवम्बर	9%
9	दिसम्बर	9%
10	जनवरी	9%
11	फरवरी	9%
12	मार्च	9%
	कुल	100%

Am

25वीं तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रतिदिन 1.0% (एक प्रतिशत) की दर से विलंब शुल्क की राशि परिगणित कर वसूल की जायेगी।

यदि माह के 25वीं तिथि को बैंक अयकाश हो, तो उसके अगले कार्य दिवस को उत्पाद परिवहन कर जमा किया जा सकेगा एवं ऐसी परिस्थिति में विलंब शुल्क की राशि देय नहीं होगी। सामान्यतः दुकान का उत्पाद परिवहन कर वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से जमा किया जायेगा, परंतु यदि दुकान की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष के मध्य में होती है, तो उस माह की शेष अवधि के लिए उत्पाद परिवहन कर समानुपातिक रूप में जमा किया जायेगा तथा आगामी माह से प्रत्येक माह के लिए निर्धारित उत्पाद परिवहन कर के अनुरूप जमा किया जायेगा।

अनुज्ञाधारी द्वारा उत्पाद परिवहन कर की देयता निगम (JSBCL) द्वारा दुकान के User ID एवं Password निर्गत करने की तिथि से होगी। जिला उत्पाद पदाधिकारी (सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद) इस बात का ध्यान रखेंगे कि अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि से दो दिन के अंदर दुकान हेतु User ID एवं Password निर्गत करने के लिए निगम (JSBCL) के IT शाखा को Email कर दिया जाय। निगम (JSBCL) की IT शाखा के द्वारा Email प्राप्ति के दो दिन के अंदर दुकान का User ID एवं Password निर्गत कर दिया जायेगा, अन्यथा विलंब होने की स्थिति में राजस्व क्षति की जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी। Email करने में विलंब के कारण हुई राजस्व क्षति के लिए जिला उत्पाद पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

अनुज्ञाधारी का उत्पाद परिवहन कर का बकाया एवं विलंब शुल्क की राशि का योग अनुज्ञाधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (Security Deposit) एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से अधिक होने पर जिला के उपायुक्त द्वारा अनुज्ञाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। अनुज्ञाधारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला उपायुक्त, राजस्वद्विह में उचित समय में निर्णय लेते हुए अग्रतर कार्रवाई यथा अनुज्ञप्ति निलंबन/विखंडन, सुनिश्चित करेंगे एवं सरकारी पावनाओं की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

- (ii) उत्पाद परिवहन कर की राशि प्राप्त करने के उपरान्त निगम (JSBCL) के द्वारा इसे अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

13. वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का मासिक बंटवारा एवं तदनुसूचित भदिरा का उदाव-

- (i) दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर का बँटवारा निम्नवत किया जायेगा -

क्र०	माह का नाम	न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर का प्रतिशत
1	अप्रैल	9%
2	मई	9%
3	जून	9%
4	जुलाई	6%
5	अगस्त	6%
6	सितम्बर	7%
7	अक्टूबर	9%
8	नवम्बर	9%
9	दिसम्बर	9%
10	जनवरी	9%
11	फरवरी	9%
12	मार्च	9%
	कुल	100%

- (ii) प्रत्येक माह में निर्धारित मात्रा के समतुल्य मदिरा का उठाव अनुज्ञाधारी को करना अनिवार्य होगा। यदि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के बाद किसी माह के बीच में अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती हो, तो अनुज्ञप्ति मिलने की तिथि से समानुपातिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के समतुल्य मदिरा का उठाव अनिवार्य होगा।
- (iii) अनुज्ञप्तिधारी मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव माह की अंतिम तिथि तक कर सकता है, परंतु यह मदिरा के उठाव हेतु सभी प्रकार के वांछित शुल्कों/कर के भुगतान के पश्चात् माह की 25वीं तारीख तक Indent, थोक बिछी अनुज्ञाधारी को परमिट के साथ उपलब्ध करा देगा, ताकि ससमय मदिरा का निर्गमन दिया जा सके। यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तिधारी किसी अपरिहार्य कारणवश उक्त माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव नहीं कर पाता है, तो वह लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा कि नहीं उठायी गई मात्रा को अगले माह के 10वीं तारीख तक अवश्य उठाव कर लेगा। यदि अनुज्ञाधारी अगले माह की 10वीं तारीख तक ऐसा नहीं करता है, तो उसे उस न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी), जिसका उठाव नहीं किया गया है, के समतुल्य राशि कोषागार में जमा कर देना होगा। यदि अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह का बचा हुआ न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर के समतुल्य मदिरा का उठाव अगले



माह के 10वीं तिथि तक नहीं किया जाता है, तो शेष बची हुई न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद कर की राशि अनुज्ञाधारी के वॉलेट से अगले कार्य दिवस में आहरित कर ली जायेगी। अनुज्ञाधारी के वॉलेट में राशि नहीं रहने पर शेष बचे न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) पर प्रतिदिन 1.0% (एक प्रतिशत) की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।

माह मार्च के न्यूनतम प्रत्याभूत कर के समतुल्य मदिरा का उठाव नहीं कर पाने की स्थिति में, इसके उठाव के लिए माह अप्रैल में अनुमति नहीं दी जायेगी।

- (iv) जिला उत्पाद पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अनुज्ञाधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर से अधिक उत्पाद राजस्व की हानि न हो पाये। ऐसा होने के पूर्व अनुज्ञाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अनुज्ञाधारी को विवरित कर पुनर्बदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
- (v) यदि खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी, दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) (Minimum Guaranteed Duty) की राशि के समतुल्य मदिरा से अधिक मदिरा का उठाव करना चाहता है, तो उसे समानुपातिक रूप से उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty) भी अग्रिम रूप में जमा करना होगा। अनुज्ञाधारी के वॉलेट (अनुज्ञाधारी हेतु सृजित लेन-देन से संबंधित खाता) में से समानुपातिक अतिरिक्त उत्पाद परिवहन कर की कटीती निगम (JSBCL) के द्वारा प्रत्येक माह के 30 तारीख को कर ली जायेगी एवं इसे अगले अगले कार्य दिवस को राज्य कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।
- (vi) पूर्व के माह में न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) से ज्यादा किये गये उठाव का सामंजन अगले माह/माहों के न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के उठाव में नहीं किया जा सकेगा।

14. अनुज्ञापियों के नवीकरण की प्रक्रिया- प्रत्येक आगामी उत्पाद वर्ष में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों के द्वारा अपनी-अपनी अनुज्ञापियों के नवीकरण हेतु आवेदन चालू वित्तीय वर्ष के 20 जनवरी तक जमा कर दिया जायेगा। केवल उन्हीं अनुज्ञापियों के नवीकरण पर विचार किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करते हैं :-

- i. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापि निर्गत की तिथि से माह दिसम्बर तक की अवधि में ससमय उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty) जमा कर दिया गया हो। यदि उत्पाद परिवहन कर (Excise Transportation Duty)



विलंब से जमा किया गया हो, तो तदनुसार विलंब शुल्क भी इनके द्वारा जमा कर दिया गया हो।

- ii. अनुज्ञाधारी द्वारा माह दिसम्बर तक के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उदाव कर लिया गया हो। यदि न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उदाव नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार को हुई राजस्व क्षति के समतुल्य की राशि दण्ड स्वरूप ससमय कोषागार में जमा कर दी गई हो।
 - iii. अनुज्ञाधारी के विरुद्ध राजस्व क्षति व दुकान संचालन से संबंधित गंभीर अनियमितता दर्ज नहीं की गई हो।
 - iv. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के नियम 18 में निर्धारित दर पर, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क एवं अग्रिम उत्पाद परिवहन कर तथा जमानत राशि की अंतर राशि जमा कर दी गई हो।
 - v. आगामी उत्पाद वर्ष के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा पुनर्निर्धारित उत्पाद राजस्व के अनुरूप राशि जमा करने के लिए अनुज्ञाधारी अपनी लिखित सहमति भी देगा।
15. प्रथम चक्र की बंदोबस्ती के बाद शेष अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती की तिथि की घोषणा— अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा प्रथम चक्र की बंदोबस्ती के पश्चात शेष अनुज्ञप्तियों के बंदोबस्ती की तिथि की घोषणा की जायेगी एवं कार्यक्रम को अधिसूचित एवं प्रकाशित किया जायेगा। राजस्व हित में अबंदोबस्त अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती हेतु अधिलंब (अधिकतम 7 दिनों के अंदर) पुनः बंदोबस्ती अधिसूचना प्रकाशित कर दी जायेगी।
16. मॉडल शॉप का संचालन —(i) मॉडल शॉप का संचालन करने के लिए इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम मदिरा की ऑफ कम्पोजिट दुकान की बंदोबस्ती प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। यदि आवेदक मॉडल शॉप का संचालन करना चाहता है, तो उसे अपनी मदिरा की कम्पोजिट दुकान की अनुज्ञप्ति को मॉडल शॉप में उत्क्रमित करने के लिए अलग से आवेदन करना होगा।



- (ii) नदिरा की ऑफ कम्पोजिट दुकान की बंदोबस्ती में सफल व्यक्ति, जो मॉडल शॉप का संचालन करना चाहता है, वह उक्त स्थल के नक्शे एवं स्थल संबंधित कागजातों के साथ विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आवेदन समर्पित करेगा।
- (iii) जिस व्यक्ति के पास मॉडल शॉप के संचालन हेतु आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं, वे ही व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इन अनुज्ञप्तियों का नवीकरण आगामी वित्तीय वर्षों में किया जा सकेगा।
- (iv) मॉडल शॉप के इन अनुज्ञाधारियों के लिए अनिवार्य रूप से कुल उत्पाद राजस्व का 5% अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित की जायेगी। प्रत्येक मॉडल शॉप को अपने आप को अनिवार्य रूप से "ऑन" दुकानों की अवस्थिति से संबंधित क्षेत्रों से युक्त रखते हुए नदिरा हेतु वातानुसूलित कक्षा, टेबल, कुर्सी, प्रसाधन एवं स्वच्छ किचन की व्यवस्था करनी होगी।
- (v) प्रत्येक मॉडल शॉप को अपनी दुकान में झारखंड राज्य में प्रचलित पॉपुलर ब्रांड की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. खुदरा उत्पाद दुकानों का स्थानांतरण— खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के क्रम में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थल स्थानांतरण की अनुमति जिला के उपायुक्त के द्वारा इस शर्त पर दी जा सकती है कि खुदरा उत्पाद दुकानों के स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित स्थल झारखंड उत्पाद अधिनियम में वर्णित नियमों एवं एतद संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय, सिविल अपील संख्या 12164-12166/2018 - 'State of Tamil Nadu Vrs. K. Bala & ANR' में दिनांक 15.12.2018 के अनुसूल हो। किसी भी परिस्थिति में दुकान का स्थानांतरण बिजली अधिसूचना में घोषित दुकान की अवस्थिति क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नहीं की जायेगी।
18. खुदरा उत्पाद दुकानों के कार्य करने की अवधि - खुदरा उत्पाद दुकानें पूर्वाह्न 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
19. खुदरा उत्पाद दुकानों को बंद करना - (i) खुदरा उत्पाद दुकानें 28 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, विजयादशमी, रामनवमी, होली एवं मुहर्रम पर्व के अवसर पर बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला के उपायुक्त केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर अथवा निर्वाचन कार्य इत्यादि, के लिए यदि आवश्यक समझे, तो आत्मभारित आदेश पारित कर खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदी किसी क्षेत्र विशेष



अथवा संपूर्ण जिले में करा सकेंगे। इसके लिए अनुज्ञाधारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी, न ही न्यूनतम प्रत्याभूत उत्पाद राजस्व की राशि में किसी प्रकार का सामंजस किया जायेगा।

- (ii) केवल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर खुदरा उत्पाद दुकानों को बंद नहीं कराया जायेगा।
- (iii) अपरिहार्य/आवश्यक कारणों से एक सप्ताह से अधिक के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों के बंद कराये जाने की स्थिति में जिला उपायुक्त प्रशासी विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेंगे।
- (iv) अपरिहार्य कारणों से मदिरा की आपूर्ति में विलंब, किसी अन्य विधि व्यवस्था अथवा दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक आंदोलनों आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप यदि किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा देय नहीं होगी।

20- खुदरा उत्पाद दुकानों से कुछ व्यक्तियों को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित किया जाना—

- (i) वैसे सभी व्यक्ति, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम की है, उसे मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा कम क्रय करने वाला व्यक्ति पूर्व से ही अधिक मदिरापान किये हुए है, तो उसे भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी। यदि मदिरा विक्रेता को ऐसा प्रतीत होता है कि मदिरा क्रेता की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो विक्रेता ऐसे क्रेता से उम्र के सत्यापन संबंधी वैध दस्तावेज यथा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि की मांग कर सकेगा।
- (ii) ड्यूटी में पदस्थानित वर्दीधारी कर्मियों को भी मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

21. अग्नि प्रतिभूति राशि का वापस किया जाना —झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 में प्रावधानित नियम 22 (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति राशि बंदोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद वापस कर दी जायेगी बशर्ते बंदोबस्त दुकान से संबंधित सभी बकायों और दावों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा किया जा चुका हो। ऐसा नहीं करने पर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि में से देय राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि को अनुज्ञप्ति समाप्ति अवधि के अधिकतम छः माह के अंदर वापस कर दिया जायेगा।

Ch

22. खुदरा उत्पाद दुकानों में स्टॉक रजिस्टर का संधारण - विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में अनुज्ञाधारी प्रतिदिन के स्टॉक का लेखा-जोखा नियमित रूप से संधारित करेगा। भविष्य में विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को यह निर्देशित किये जाने पर कि वह सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए विहित विधि से स्टॉक का संधारण करे, तो विभाग द्वारा निर्धारित तिथि से यह उसके लिए बाध्यकारी होगा।
23. आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्देशित तकनीकी संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं की स्थापना - संपूर्ण झारखंड राज्य में कार्यरत संबन्धकर्ता थोक अनुज्ञाधारियों, खुदरा अनुज्ञाधारियों, विनिर्माता प्रतिष्ठानों एवं आपूर्तिकर्ता के पास मौजूद स्टॉक, इसकी बिक्री इत्यादि से संबंधित विवरणी केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्देशित किये जाने पर JSBCL, थोक अनुज्ञाधारी, खुदरा अनुज्ञाधारी, संबन्धकर्ता, आपूर्तिकर्ता एवं विनिर्माता प्रतिष्ठानों के अनुज्ञाधारी Track & Trace Technology, IP based CCTV, Electronic Billing Machine, Deep Freezer, IP Based Electronic Boom Barrier, GPS Based Vehicle Tracking Device, Digital Lock से संबंधित संयंत्रों एवं आधारभूत संरचनाओं को अपने निजी खर्च पर अपरम्य रूप से स्थापित किया जाना आवश्यक होगा तथा मुख्यालय में केन्द्रीय कमान एवं नियंत्रण केन्द्र से लिंक स्थापित करना अनिवार्य होगा एवं इसे 24 घंटे चालू अवस्था में रखेगा। इस कार्य को विभाग के निर्देशन में संचालित करने के लिए JSBCL द्वारा तकनीकी सहायता एजेन्सी की नियुक्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्देश नहीं मानने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।
24. खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण - उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून सभी उत्पाद पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण कर सकेंगे। अवर निरीक्षक उत्पाद के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र अन्तर्गत सभी दुकानों का निरीक्षण माह में कम-से-कम एक बार किया जाना आवश्यक होगा तथा निरीक्षक उत्पाद अपने क्षेत्रान्तर्गत तीन माह में सभी दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।



25. खुदरा अनुज्ञाधारी का लामांश—(i) खुदरा अनुज्ञाधारी का लामांश देशी/मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन इत्यादि के लिए निगम (JSBCL) के थोक बिक्री मूल्य (उत्पाद परिवहन कर सहित) का 12% (बारह प्रतिशत) निर्धारित किया जाता है।
- (ii) राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात खुदरा एवं थोक अनुज्ञाधारी के लामांश में परिवर्तन किया जा सकेगा।
26. खुदरा उत्पाद दुकानों पर लगाया जाने वाले डिस्प्ले बोर्ड से संबंधित प्रक्रिया—झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के नियम 35 में वर्णित प्रावधान के अलाोक में खुदरा उत्पाद दुकानों में डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
27. खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा—(i) खुदरा उत्पाद दुकानों से ग्राहकों को बिक्री की जाने वाली मदिरा की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है :-
- a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) —4.5 लीटर (बीयर, वाईन, बीजर/LAB इत्यादि कम शक्ति वाली पेय मदिरा को छोड़कर)
- b) देशी मदिरा एवं मसालेदार/Flavoured देशी मदिरा — 4.8 लीटर नोट —बीयर, वाईन, बीजर/LAB इत्यादि जैसी कम शक्ति वाली पेय मदिरा के लिए खुदरा बिक्री की उपरोक्त सीमा बाध्यकारी नहीं रहेगी, अर्थात् उक्त मात्रा से अधिक मात्रा में बिक्री की जा सकती है।
- (ii) अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति लेनेवाले व्यक्ति जिला के खुदरा उत्पाद दुकान से उक्त सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा का क्रय कर सकेंगे।
28. खुदरा उत्पाद दुकानों में बिकने वाली मदिरा की मात्रा एवं शक्ति— खुदरा उत्पाद दुकानों से बिकने वाली प्रति Packaged इकाई की मात्रा एवं अल्कोहलिक शक्ति वही होगी, जो सरकार/राजस्व पर्यटन हास समय-समय पर प्रावधानित किया जाएगा।
29. अनुज्ञप्ति की अवधि में मदिरा की बिक्री एवं अनुज्ञप्ति अवधि के बाद शेष बची मदिरा का निष्पादन - अनुज्ञाधारी बंदोबस्ती की अवधि के लिए मदिरा की संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत कर (ड्यूटी) के अनुरूप मदिरा का उठाव अनुज्ञप्ति की

अवधि के समाप्ति के पूर्व कर लेगा एवं इसकी बिक्री भी सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति पर शेष बची मात्रा का निष्पादन राजस्व वर्षद के अनुदेशों की कड़िका 117 में अंतर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

30. अबंदोबस्त दुकानों का निस्तार—(i) लॉटरी के माध्यम से यदि किसी जिला में कतिपय खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों का समूह चार प्रयासों के बावजूद अबंदोबस्त रह जाते हैं, तो उत्पाद राजस्व संग्रहण को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला के कुल निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अधिकतम 10%, जिला के बंदोबस्त दुकानों में उनके न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के आधार पर समानुपातिक रूप से वितरित किया जा सकेगा तथा बंदोबस्त दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में समानुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी। इस संबंध में बंदोबस्त दुकानों के अनुज्ञाधारी द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में हुई वृद्धि का मानना बाध्यकारी होगा। उदाहरणस्वरूप—यदि किसी जिला का चालू वित्तीय वर्ष का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 100 करोड़ रुपये निर्धारित है। अधिकतम चार प्रयासों के उपरांत भी यदि बंदोबस्त दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 87 करोड़ रुपये है, तो 10 करोड़ रुपये (निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 10%) बंदोबस्त दुकानों के राजस्व में उनके न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समानुपातिक रूप से वितरित कर दिये जायेंगे। यदि किसी बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व, जिला के बंदोबस्त न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का 5% है, तो इस बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 50 लाख रुपये की वृद्धि के साथ निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार जिला के बंदोबस्त दुकानों का न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व 97 करोड़ रुपये निर्धारित कर दिया जायेगा। शेष 3 करोड़ रुपये के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व वाले खुदरा दुकान/दुकानों के समूह का राजस्व उदग्रहण हेतु आयुक्त उत्पाद के द्वारा झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के नियम 41 के (ii) एवं (iii) के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा।
- (ii) झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के नियम 41(i) में वर्णित प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी कोई



खुदरा उत्पाद दुकान/दुकानों का समूह अबंदोबस्त रह जाता है, राजस्वहित में वैसे अनुज्ञाधारी, जो अबंदोबस्त दुकान/दुकानों के समूह को लेने हेतु इच्छा व्यक्त करते हैं, तो नियमावली के नियम 15 को शिथिल करते हुए उनके पक्ष में बंदोबस्ती की अनुमति आयुक्त उत्पाद के द्वारा दी जा सकेगी।

- (iii) शेष अबंदोबस्त दुकान/दुकानों के समूह की बंदोबस्ती हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गई अनुज्ञप्ति के आलोक में प्रस्तावित दुकानों को कम करने/स्थल परिवर्तन करने/दुकानों को समाप्त करने, निगम (JSBCL) के माध्यम से अबंदोबस्त दुकानों का संचालन किये जाने के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
31. अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में अनुज्ञप्तियों का वैध वारिस को नामांतरण-अनुज्ञप्ति के चालू रहने की अवधि में यदि अनुज्ञप्तिधारी का निधन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में खुदरा उत्पाद अनुज्ञप्तियों तबतक क्रियाशील रहेंगी, जबतक कि उसका नामांतरण जिला के उपायुक्त के द्वारा भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी के वैध वारिस को नहीं कर दिया जाता है, बशर्त कि इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से राज्य को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के देयताओं एवं दावों की भरपाई कर दी गई हो एवं भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी का वैध वारिस अनुज्ञप्ति धारण करने का पात्र हो। अनुज्ञप्ति नामांतरण के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त के द्वारा एक माह के अंदर इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा।
32. मदिरा की बिक्री, खुदरा बिक्री मूल्य पर किया जाना - अनुज्ञाधारी मदिरा के बोतलों के लेबलों पर अंकित मूल्य पर ही उपभोक्ताओं को मदिरा की बिक्री करेगा। उत्सर्जन करने की स्थिति में जाँचोपरांत अनुज्ञाधारी के विरुद्ध यथाविनिर्दिष्ट कार्रवाई की जायेगी।
33. खुदरा उत्पाद दुकानों की युनिक (Unique) अनुज्ञप्ति संख्या- दुकानों की अनुज्ञप्ति संख्या युनिक (Unique) होगी। इसे निम्नवत लिखा जायेगा :-
जिला का नाम (अनुज्ञप्ति संख्या/अनुज्ञप्ति का प्रकार (संक्षिप्त कोड में)/जिला का नाम (अंग्रेजी वर्णमाला के तीन कूट अक्षरों में)/वित्तीय वर्ष। उदाहरणस्वरूप - चौबी जिला की मदिरा की कम्पोजिट दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या निम्नवत लिखी जायेगी -001_COM_RNC_25-26



जिला तथा दुकान के प्रकार का कूट नाम (Code Word) निम्नवत होगा -

District Name	Code
Bokaro	BOK
Chatra	CHT
Deoghar	DEO
Dhanbad	DHN
Dumka	DUM
East Singhbhum	EAS
Garhwa	GAR
Giridih	GIR
Godda	GOD
Gumla	GUM
Hazaribagh	HZB
Jamtara	JAM
Khunti	KHU
Koderma	KOD
Latehar	LAT
Lohardaga	LOH
Pakur	PAK
Palamu	PAL
Ramgarh	RAM
Ranchi	RNC
Sahebganj	SBG
Saraikela	SAR
Simdega	SIM
West Singhbhum	WES

क्र०	दुकान का प्रकार	कूट
1	देशी तराब दुकान	CLX
2	कम्पोजिट तराब दुकान	COM

34.

अनुज्ञप्ति का निरसन,

निरस्तीकरण और शस्तियाँ - (i) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त कर सकता है -

- क) यदि अनुज्ञप्ति परिसर में मदिरा की कोई बोतल पायी जाय, जिसपर शुल्क/कर का भुगतान नहीं किया गया हो, और जिसपर आयुक्त उत्पाद द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में उत्पाद विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित सुरक्षा कोड चिपकाया नहीं गया हो।
- ख) यदि अनुज्ञप्ति परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि के बोतल या पात्र (जिसके लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं की गई है), की बोतल या पात्र पाये जाते हैं।

- ग) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के तहत बने नियमों/उपनियमों के विरुद्ध अनुज्ञापिकाधीन के कले में यदि कोई नदिरा या नदिक औषधि पाया जाता है।
- घ) यदि अनुज्ञापिकाधीन द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है एवं उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है।
- ङ) यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञापिका फर्जी नाम से प्राप्त किया गया है या अनुज्ञापिका किसी अन्य व्यक्ति के नाम अनुज्ञापन धारण करने हुए है।
- च) यदि अनुज्ञापिकाधीन उत्पाद परिवहन कर एवं अन्य देयताओं की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है।
- छ) यदि अनुज्ञापिकाधीन उत्पाद अधिनियम में या किसी संश्लेष एवं गैरजमानतीय अपराध में या स्वयंके औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय न्याय संहिता, 2023/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन किसी अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

अनुज्ञापिका प्राधिकार के द्वारा अनुज्ञापिका के निरस्तकरण एवं प्रतिभूति के समपहरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा। अनुज्ञापिकाधीन नोटिस प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात अनुज्ञापिका प्राधिकारी अनुज्ञापिकाधीन को सुने जाने का सुविधायुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात एतद संबंधी उपयुक्त आदेश 15 दिनों के अंदर पारित करेगा।

- (ii) अनुज्ञापिका निरस्त किये जाने की दशा में अनुज्ञापिकाधीन द्वारा जमा की गई अग्रिम उत्पाद परिवहन कर एवं प्रतिभूति धनराशि सरकार के पक्ष में जम्मा हो जायेगी और अनुज्ञापिकाधीन कोई प्रतिफल या वापसी के दावे का हकदार नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापिकाधीन को अगले पाँच वर्षों के लिए कांसी सूची में भी डाला जायेगा तथा उसे अन्य कोई आयकारी लाइसेंस धारित करने से वर्जित किया जायेगा।

35. झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 68 के अंतर्गत खुदरा अनुज्ञापिकाधीनों द्वारा की जा रही अनियमितता का प्रशमन (Compounding)-

- (i) झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 68 के अंतर्गत प्रशमनीय अनियमितताओं के मामलों में प्रशमन शुल्क की राशि में एकरूपता बनाये रखने के दृष्टिकोण से निम्नरूपेण प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है :-



क्र०	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (₹ में)	द्वितीय बार (₹ में)	तृतीय बार (₹ में)
1	2	3	4	5
1	अनाधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुए पाया जाना	5000 (पाँच हजार)	7000 (सात हजार)	10000 (दस हजार)
2	स्टॉक रजिस्टर मानने पर न प्रस्तुत करना	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)	20000 (बीस हजार)
3	स्टॉक रजिस्टर अद्यतन न करा जाना	5000 (पाँच हजार)	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)
4	बोलती या रगड़े लेबल, सुरक्षा प्रमाती अथवा बार कोड चिह्नक मुफ़ डीप या सील से जानबूझकर बिगाड़ करना। अनुज्ञप्ति परिस्तर में कंचनल, रंग, गुणधि, सुरक्षा प्रमाती अथवा बारकोड, लेबल, फीचर, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री का पाया जाना। दुकान में नोन डबूटी पैठ स्टॉक पाया जाना।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्यवाही की जायेगी।		
5	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा गृथ का आयोजन करना।	100000 (एक लाख)	150000 (एक लाख पचास हजार)	200000 (दो लाख)
6	डबूटी पैठ स्टॉक को अनाधिकृत परिसर/गोदान में संचित करना।	25000 (पच्चीस हजार)	35000 (तीस हजार)	50000 (पचास हजार)
7	खुली मंदिरा की बिक्री किया जाना। मंदिरा का जलाशय/तनुकरण पाया जाना/उष्ण क्षेत्री की मंदिरा में निम्न क्षेत्री की मंदिरा का अपमिश्रण।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्यवाही की जायेगी।		
8	मद्य निषेध दिवसों/बंदी के दिनों में मंदिरा की बिक्री किया जाना।	30000 (तीस हजार)	40000 (चात्तीस हजार)	50000 (पचास हजार)
9	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	अनुज्ञप्ति विखंडन की कार्यवाही की जायेगी।		
10	निर्धारित खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर मंदिरा का विक्रय।	50000 (पचास हजार)	75000 (पन्धतर हजार)	100000 (एक लाख)
11	अनुज्ञप्ति परिस्तर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड न लगा पाया जाना। साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना। अनुज्ञप्ति परिस्तर में प्रमुख बिक्रने वाले ब्रांडों के खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) का विस्तृत बोर्ड नहीं लगाया जाना।	10000 (दस हजार)	15000 (पंद्रह हजार)	20000 (बीस हजार)
12	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2000 (दो हजार)	5000 (पाँच हजार)	10000 (दस हजार)
13	दुकानों में पॉपुलर ब्राण्डों का नहीं पाया जाना	100000 (एक लाख)	150000 (एक लाख पचास हजार)	200000 (दो लाख)
14	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 01 से 13 तक पर अंकित न हो।	इस संबंध में अनियमितता दर्ज करते हुए जिला उत्पाद पदाधिकारी द्वारा आयुक्त उत्पाद को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।		


(ii) उपरोक्त वर्णित तीन अनियमितताओं के दर्ज किये जाने के उपरांत अनुज्ञप्ति विखंडित कर दी जायेगी।

De

36. लोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार मदिरा के ऑन प्रकृति की दुकानों पर उपभोग किये जाने के उपरांत खाली हुए पेट/शीरो की बोतलों एवं उनपर प्रयुक्त टक्कनों को नष्ट करके हटाने की जिम्मेवारी दुकान के अनुज्ञाधारी/विक्रेता की होगी।
37. अनुज्ञप्ति प्राधिकार के द्वारा दुकानों की प्रास्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुकान को भू-टैंग किया जायेगा।
38. झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 को पूर्णरूपेण प्रवृत्त करने के निमित्त दुकान की बंदोबस्ती की प्रक्रिया ई-लॉटरी होगी।
39. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत कोई भी आवेदक दुकानों को किसी अन्य व्यक्ति को Sub-lease नहीं कर पायेगा। ऐसा किये जाने की स्थिति में उस आवेदक के साथ बंदोबस्ती की गई सभी अनुज्ञप्तियों विखंडित कर दी जायेगी तथा उनके द्वारा जमा जमानत की राशि एवं सभी प्रकार की अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध विभाग भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत अभियोग दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए प्रवृत्त होगा।
40. झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 में प्रयुक्त शब्द अथवा नियम की व्याख्या में संशय होने पर आयुक्त उत्पाद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, राजस्व हित, प्रशासनिक हित तथा ध्यावसायिक सुगमता हेतु आयुक्त उत्पाद निर्देश जारी करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।
41. झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के तहत प्रदत्त सभी प्रकार के सराय की बिक्री के खुदरा उत्पाद दुकानों को अनुज्ञप्तिधारी, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915), इस अधिनियम के तहत बने नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
42. खुदरा उत्पाद दुकानों के बंदोबस्ती से संबंधित इस नीति को समीक्षापरान्त राज्य सरकार कभी भी समाप्त/संशोधित कर सकती है। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

(Signature)

43. मदिरा की खुदरा बिक्री की सभी अनुज्ञाधारी पॉपुलर ब्रांड को अवरस्य रखेंगे।
44. खुदरा उत्पाद दुकानों के समूह के अनुज्ञाधारी अपने दुकानों में मदिरा की बिक्री में कौशलस भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देंगे।
45. आपूर्तिकर्ता कम्पनी खुदरा अनुज्ञाधारियों से सहमति के आधार पर अपनी कम्पनी का डिस्प्ले बोर्ड/विज्ञापन खुदरा उत्पाद दुकान के अंदर लगा सकेंगे, परंतु दुकान के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर वैसे सभी विज्ञापन/प्रदर्शन पूर्णतः निषिद्ध होंगे, जो मदिरा के सेवन को प्रोत्साहित करते हों अथवा इसके सूचक हों। अनुज्ञप्ति परिसर से बाहर मदिरा के प्रचार-प्रसार से संबंधित विज्ञापन करने वाले सभी अनुज्ञाधारियों/मदिरा आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध विभाग यथोचित दायित्वक कार्रवाई कर सकेगा। इस संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा।
46. बिक्री अधिसूचना एवं झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 में वर्णित सभी शर्तें, अनुज्ञप्ति की शर्तें मानी जायेंगी।
47. झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के वे सभी नियम, जो "देशी शराब की ऑन एवं ऑफ दुकान" तथा "ऑफ एवं ऑन कम्पोजिट दुकान" से संबंधित हैं, इस बिक्री अधिसूचना की शर्तें समझी जायेंगी।
48. उपरोक्त सभी शर्तों एवं झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए कोई भी आवेदक बंदोबस्ती में भाग ले सकते हैं।


19/04/26
अधीक्षक उत्पाद
नरायकंभा-खरसावा



उपस्थित
तरायकंभा-खरसावा।



भारत सरकार (मदिरा की सुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के अंतर्गत सुदरा उत्पाद दुकानों की ई-लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती हेतु समूहवार दुकानों का विहित प्रपत्र (अनुसूची)

Sl. No.	Group Name (दुकानों का समूह)	Licence No (मिटर नंबर)	Shop Name (दुकान का नाम)	Shop Type (दुकान का प्रकार)	Location of Shop (दुकान की स्थिति)	Annual Licence Fee (दुकान का वार्षिक शुल्क)	Annual Minimum Contribution (दुकान के लिए वार्षिक न्यूनतम योगदान)	Minimum Revenue (न्यूनतम आय)	Fixed Daily Amount (दैनिक निश्चित राशि)	Extra Transport Daily (दैनिक अतिरिक्त परिवहन)	Security Deposit (दुकान के लिए सुरक्षा जमाना)	Advance L100 (दुकान के लिए 100% का अग्रिम)	Earned Share (दुकान के लिए अर्जित हिस्सा)	Application Fee (दुकान के लिए आवेदन शुल्क)	Total Payable Amount (दुकान के लिए कुल भुगतान योग्य राशि)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (7+10+12)
1	SAR_GRP_001_COM	001_COM_SAR_26-27	CHANDIL NO-02	COMPOSITE	एन-1 डिपार्टमेंट के अंतर्गत सुदरा उत्पादों की बिक्री हेतु एक मल्टीप्लेक्स दुकान (दुकान का प्रकार)	50,000.00	79,121,792.00	79,121,792.00	2,981,189.00	36,309,615.00	1,400,000.00	2,194,311.00	581,416.00	11,000.00	344,216.00
		001_COM_SAR_26-27	BADHUNATHPUR	COMPOSITE	एन-1 डिपार्टमेंट के अंतर्गत सुदरा उत्पादों की बिक्री हेतु एक मल्टीप्लेक्स दुकान (दुकान का प्रकार)	30,000.00	14,817,813.00	14,817,813.00	1,491,782.00	11,026,002.00	740,000.00	1,101,006.00	798,011.00	11,000.00	140,117.00
		Total SAR_GRP_001_COM					80,000.00	93,939,605.00	93,939,605.00	4,472,971.00	47,335,617.00	2,140,000.00	3,295,317.00	1,379,427.00	22,000.00
2	SAR_GRP_001_COM	001_COM_SAR_26-27	NEEDER	COMPOSITE	एन-1 डिपार्टमेंट के अंतर्गत सुदरा उत्पादों की बिक्री हेतु एक मल्टीप्लेक्स दुकान (दुकान का प्रकार)	50,000.00	84,917,813.00	84,917,813.00	1,491,782.00	11,026,002.00	740,000.00	1,118,816.00	298,017.00	11,000.00	140,117.00
		001_COM_SAR_26-27	CHALTYANA	COMPOSITE	एन-1 डिपार्टमेंट के अंतर्गत सुदरा उत्पादों की बिक्री हेतु एक मल्टीप्लेक्स दुकान (दुकान का प्रकार)	50,000.00	8,076,982.00	8,076,982.00	8,11,698.00	2,324,204.00	418,000.00	628,214.00	387,548.00	11,000.00	176,048.00
		Total SAR_GRP_001_COM					100,000.00	92,994,795.00	92,994,795.00	2,303,480.00	23,350,206.00	1,158,000.00	1,747,030.00	685,565.00	22,000.00

Sl. No.	Group Name (शुद्ध मूल्य)	License No (शुद्ध मूल्य)	Shop Name (शुद्ध मूल्य)	Shop Type (शुद्ध मूल्य) / CL / CDD (शुद्ध मूल्य)	Location of Shop (शुद्ध मूल्य) की बस/मिशन (शुद्ध मूल्य) जे 1 डिस्ट्रीक्ट/शहर/जिला क्षेत्र में 2 डिस्ट्रीक्ट/शहर/जिला क्षेत्र में 3 डिस्ट्रीक्ट की सीमांत/समावेशित/सुपार/समावेशित क्षेत्र)	Annual License Fee (शुद्ध मूल्य) 2021 के आरंभ से 2022 के आरंभ तक (शुद्ध मूल्य)	Annual Minimum Guaranteed Revenue (शुद्ध मूल्य) 2021 के आरंभ से 2022 के आरंभ तक (शुद्ध मूल्य)	Minimum Guaranteed Revenue (शुद्ध मूल्य)	Waste Duty (शुद्ध मूल्य)	Excise Transport Duty (शुद्ध मूल्य)	Security Deposit (शुद्ध मूल्य) 2021 के आरंभ से 2022 के आरंभ तक (शुद्ध मूल्य)	Advance (शुद्ध मूल्य) 2021 के आरंभ से 2022 के आरंभ तक (शुद्ध मूल्य)	Current Month Report (शुद्ध मूल्य) 2021 के आरंभ से 2022 के आरंभ तक (शुद्ध मूल्य)	Application Fee (शुद्ध मूल्य) 2021 के आरंभ से 2022 के आरंभ तक (शुद्ध मूल्य)	Total Payable Amount of Shop Application Fee (शुद्ध मूल्य) 2021 के आरंभ से 2022 के आरंभ तक (शुद्ध मूल्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Grand Total						200,000.00	67,334,999.00	67,334,999.00	4,733,443.00	68,000,000.00	1,266,722.00	5,000,000.00	1,266,690.00	47,200.00	1,266,690.00


 अधीक्षक उत्पाद
 मरायकना-खरसावा


 उपसुकेत
 मरायकना-खरसावा